न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 15/18

सरकार बनाम श्रीः श्याम सिंह पुत्र श्री यादराम जाति गुर्जर

निवासी पावटा (भायलीपट्टी)

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 30/07/2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री श्याम सिंह पुत्र श्री यादराम जाति गुर्जर निवासी पावटा (भायलीपट्टी) तहसील महवा ने संवत 2075 फसल खरीफ मे ग्राम पावटा की राजकीय आराजी खसरा नं. 1990 रकबा 0.86 किस्म गै.मु. तलाई भूमि से 0.01 रकबा पर अनाधिकृत रूप से घूडा डाल कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.14 का 50 गुना 7 रू. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/प के पेज नं0 106 पर
वर्ष 2018 में पेनल्टी/फसल नीलामी
की राशि तादादी रुपये 7=00 पैसा
की जमा कायमी की गई।
दिनांक तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील–महवा

तहसीलदार
तहसीलदार महवा (दौसा)

तहसीलदार

तहसील महवा जिला दौसा